

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 1590

दिनांक :-

आदेश संख्या : 106

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), पुरानी जिला परिषद के पीछे, नयापुरा, कोटा-324001 में दिनांक 11/06/2018 से 03/08/2018 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 11/06/2018 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-

क्र.स. (1)	कनिष्ठ लेखाकार का नाम - [लिक नंबर] पिता का नाम, जन्म तिथि, मेरिट क्रमांक/वर्ष (2)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम (3)
1	अंतिमा सोनी - [11409] चंद्रप्रकाश सोनी, 14/04/1992, 2518/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, कोटा
2	भरत कुमार - [10770] मनोहर लाल, 08/07/1986, 939/2013	संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, भरतपुर
3	बिंदू शर्मा - [11267] रमेश चैदर शर्मा, 01/07/1990, 582/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, कोटा
4	चंद्र प्रकाश - [11554] रामस्वरूप उपाध्याय, 03/01/1992, 2927/2013	कमान अधिकारी (6 राज) (इंडप), एन.सी.सी. विभाग, भरतपुर
5	चारु गुप्ता - [10788] पवन कुमार गुप्ता, 19/08/1992, 1331/2013	जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), भरतपुर
6	चित्रा कुमारी - [10772] रामवेर सिंह, 24/08/1989, 970/2013	उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, भरतपुर
7	दीपक कुमार शर्मा - [10292] सन्तोष कुमार, 21/07/1990, 301/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, भरतपुर
8	दीपेश शर्मा - [10304] राधेश्याम शर्मा, 13/07/1991, 398/2013	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), कुम्हेर, भरतपुर
9	देवेंद्र सिंह - [10460] साहब सिंह, 13/08/1990, 672/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, डीग, भरतपुर
10	देवेंद्र सिंह - [10404] पदम सिंह, 22/03/1994, 482/2013	अधिकांश अभियंता, परियोजना खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डीग, भरतपुर
11	देवी राम मीणा - [11126] लक्ष्मण प्रसाद मीणा, 20/10/1992, 1875/2013	अधीक्षण अभियंता, वृत्त, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भरतपुर
12	धीरज जांगिड - [10773] कैलाश चंद जांगिड, 16/04/1991, 997/2013	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, कामां, भरतपुर
13	दिनेश चंद मीणा - [12938] रामकिशन मीणा, 15/08/1988, 2063/2013	मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, भरतपुर
14	दिव्या शर्मा - [10959] मोहनलाल शर्मा, 30/11/1991, 1712/2013	जिला कलक्टर (भू अभिलेख), राजस्व विभाग, भरतपुर
15	एकता सिंघल - [10850] अशोक कुमार सिंघल, 16/01/1993, 1358/2013	संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, संस्कृत शिक्षा विभाग, भरतपुर
16	हेमंत कुमार कक्कड़ - [10643] निर्मल दास कक्कड़, 14/06/1983, 694/2013	तहसीलदार, राजस्व विभाग, बयाना, भरतपुर
17	हेमंत शर्मा - [10755] जगदीश प्रसाद शारदा, 05/03/1992, 811/2013	संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, भरतपुर
18	होरीलाल मीणा - [11372] अमर सिंह मीणा, 10/10/1986, 2594/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, रूपवास, भरतपुर
19	जितेंद्र गर्ग - [9948] पुरुषोत्तम गर्ग, 14/02/1991, 42/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, भरतपुर
20	कृष्ण दत्त शर्मा - [11583] रमेश चन्द शर्मा, 21/02/1986, 2930/2013	प्रभारी, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, भरतपुर

21	कुलदीप उपाध्याय - [11818] ओम प्रकाश उपाध्याय, 15/09/1987, 288/2013	तहसीलदार, राजस्व विभाग, नगर, भरतपुर
22	लोकेश भारदवाज - [11598] रामकिशोर शर्मा, 06/11/1980, 2988/2013	सहायक निदेशक अभियोजन, विधि विभाग, भरतपुर
23	मदन गोपाल - [10947] भगवान सिंह, 01/07/1987, 1532/2013	संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, भरतपुर
24	माधुरी कुमारी - [11663] तारा चंद, 10/07/1994, 3253/2013	उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, भरतपुर
25	महावीर कुमार मीना - [11396] रतन सिंह मीना, 12/11/1990, 2661/2013	उप निदेशक, शिक्षा विभाग (माध्यमिक), भरतपुर
26	मनीषा कुमारी - [10778] जय भगवान, 20/05/1991, 1207/2013	संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, भरतपुर
27	मनीषा कुमारी - [10779] गजेंद्र सिंह, 25/07/1992, 1306/2013	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), नदबई, भरतपुर
28	मेघा शर्मा - [11529] चन्द्र प्रकाश शर्मा, 16/04/1989, 2767/2013	उप नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, भरतपुर
29	नरेश कुमार - [10767] कुंवर सिंह, 02/08/1993, 903/2013	संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, भरतपुर
30	नीरज बालनिया - [11551] रामकिशन, 03/11/1988, 2232/2013	संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, कोटा
31	नेत्रपाल सिंह - [11545] शेर सिंह, 13/07/1983, 2830/2013	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, गृह विभाग, सेवर, भरतपुर
32	ओम प्रकाश शर्मा - [11803] सालगराम शर्मा, 08/08/1977, 3053/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, झालावाड़
33	ओमवीर सिंह - [11938] राजेन्द्र सिंह, 27/01/1990, 1788/2013	अधीक्षण अभियंता, वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भरतपुर
34	पंकज कुमार चौधरी - [10427] दिगम्बर सिंह, 28/09/1992, 572/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नगर, भरतपुर
35	पिंकी मीणा - [11619] मुंशी राम मीणा, 20/08/1991, 2992/2013	उप कोषाधिकारी (पेंशन), कोष एवं लेखा विभाग, भरतपुर
36	पिंकी कुमारी मीणा - [11654] लक्ष्मण प्रसाद मीणा, 03/11/1990, 3183/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, भुसावर, भरतपुर
37	पूजा पुरैला - [10929] योगेंद्र सिंह पुरैला, 04/10/1994, 1460/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, भरतपुर
38	प्रदीप कुमार अग्रवाल - [10264] चंडी प्रसाद अग्रवाल, 17/10/1982, 227/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, भरतपुर
39	प्रज्ञानिधि आर्य - [10775] हजारी लाल आर्य, 19/11/1989, 1174/2013	तहसीलदार, राजस्व विभाग, कामां, भरतपुर

उक्त प्रशिक्षण की अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

यह प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को आवास व खान-पान आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

यदि कोई कार्मिक प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्यागपत्र देना चाहेगा अथवा अन्य पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उसके द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार के वेतन-भत्ते तथा प्रशिक्षण पर हुए व्यय की दो गुना राशि का भुगतान एकमुश्त राजकोष में जमा कराना आवश्यक होगा। सभी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते ही निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में बाण्ड भरकर सम्बन्धित पाठ्यक्रम निदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

यदि किसी कार्मिक ने कनिष्ठ लेखाकार पद का संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त कर लिया है तो उसे पुनः प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जावे। यदि किसी कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे परिवर्तित कार्यालय (वास्तविक रूप से कार्यरत कार्यालय) के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 1570

दिनांक :- 8/6/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- . महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
- . प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
- . अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), पुरानी जिला परिषद के पीछे, नयापुरा, कोटा-324001 को मय बाण्ड फार्म प्रेषित कर अनुरोध है कि बाण्ड फार्म समस्त कार्मिकों से पूर्ति करवाकर इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें एवं उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।
- . विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावे क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
- . सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- . अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- . उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
- . रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)